

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1519
TO BE ANSWERED ON 10TH FEBRUARY, 2023**

CGHS FACILITY FOR EX-PARAMILITARY PERSONNEL

1519. ADV. DEAN KURIAKOSE:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) Whether the Government has received any request/proposal to establish a CGHS welfare facility for ex-paramilitary personnel in the hill area of Idukki and if so, the details thereof along with the action taken in this regard;
- (b) Whether the Government is aware of the fact that ex-paramilitary personnel have to travel a distance of 250-300 Kms to avail the Digital Technology System under CGHS and if so, whether the Government proposes to set up such facility in a hospital in Idukki or open a new CGHS center with all equipment; and
- (c) Whether the Government also proposes to open a fully functional CGHS facility at Idukki district for consultation of CGHS cardholders, including ex-paramilitary personnel and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

**ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)**

(a) to (c): Ministry takes a considered view regarding opening of new CGHS Wellness Centres at new places based on norms for opening new CGHS Wellness Centre, which include minimum of 6000 central government employees subject to availability of resources and sanction of new posts of staff by Department of Expenditure, Ministry of Finance. CGHS beneficiaries residing in remote areas, have the option to avail tele-consultation from Specialists on e-Sanjeevani portal.

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1519
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पूर्व अर्ध-सैनिक बलों हेतु सीजीएचएस सुविधा

1519. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इडुक्की के पहाड़ी क्षेत्र में अर्ध-सैनिक बलों के पूर्व कर्मियों के लिए सीजीएचएस कल्याण सुविधा स्थापित करने का कोई अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो 'तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सीजीएचएस के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रणाली का लाभ उठाने के लिए पूर्व अर्ध सैनिक कर्मियों को 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और यदि हां, तो क्या सरकार का इडुक्की में ऐसी सुविधा वाला अस्पताल स्थापित करने या सभी उपकरणों के साथ एक नया सीजीएचएस केंद्र खोलने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का इडुक्की जिले में पूर्व अर्ध-सैनिक कर्मियों सहित सीजीएचएस कार्ड धारकों की चिकित्सा हेतु पूरी तरह कार्यात्मक सीजीएचएस केंद्र खोलने का भी विचार है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): यह मंत्रालय नया सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने संबंधी मानदंडों के आधार पर नई जगहों पर नया सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने के संबंध में विचार करता है, जिनमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्टाफ के नए पदों की मंजूरी और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन केंद्र सरकार के कम से कम 6000 कर्मचारियों का उपलब्ध होना शामिल है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों के पास ई-संजीवनी पोर्टल पर स्पेशलिस्टों से टेली परामर्श का विकल्प उपलब्ध है।
